

न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 48 / 2020

योगेश चंद शर्मा पुत्र तोताराम शर्मा निवासी कर्नल गणेशीलाल की हवेली मौहल्ला गोपालगढ, भरतपुर ।

बनाम

प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग, कलक्ट्रेट भरतपुर ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 02.06.2020.

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि योगेश चंद शर्मा पुत्र तोताराम शर्मा निवासी कर्नल गणेशीलाल की हवेली मौहल्ला गोपालगढ, भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 18.12.2019 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर (प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर) से सूचना चाही गयी थी। अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर (प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर) द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट / 300 दिनांक 23.03.2020 से अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर (प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर) से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर (प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर) से उनके पत्रांक 1679 दिनांक 22.05.2020 (इस कार्यालय में दिनांक 02.06.2020 को प्राप्त), से जबाब प्राप्त हुआ, जो संलग्न पत्रावली है ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाएं अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर (प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर)ने उपलब्ध नहीं कराई हैं। अपीलान्त द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर (प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर) से वांछित सूचनाएं दिलायी जाने की प्रार्थना की है। इस सम्बन्ध में अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर (प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर)ने अपने जबाब में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर से संबंधित होने के कारण प्रार्थी का आवेदन कार्यालय पत्रांक 11547 दिनांक 09.12.2019 के द्वारा प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अंतरित कर दिया गया है । प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर

द्वारा अपने पत्रांक 11547 दिनांक 19.12.2019 से प्रभारी अधिकारी जिला न्याय अनुभाग भरतपुर को यह भी निर्देशित किया गया है कि वांछित सूचनाएं प्रार्थी को सीधे ही उपलब्ध कराते हुए पालना से उन्हें भी सूचित किया जावे , किन्तु सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध कराने सम्बन्धी रिपोर्ट न तो प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर को भेजी गई है और न इस कार्यालय को प्रेषित की गई है । जाहिर है कि लोक सूचना अधिकारी ने अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं, जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी को अन्दर 30 दिवस कार्यवाही कर सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के बाध्यकारी प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये अपीलार्थी को सूचना निःशुल्क अविलम्ब उपलब्ध कराई जावे।

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर को प्रेषित की जावे एवं सूचनार्थ अपीलांट को प्रेषित हो।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

